



# भागलपुर समाहरणालय

(जिला भू-अर्जन कार्यालय)



## आदेश

परियोजना अन्तीचक-विक्रमशिला पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु मौजा-अन्तीचक, राजस्व थाना-कोलगंग (कहलगॉव), थाना नं०-63, अंचल-कोलगंग (कहलगॉव), जिला-भागलपुर में कुल रकवा - 1.71 एकड़ भूमि का भूमि का अर्जन भू-अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। इस क्रम में अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन जिला गजट में दिनांक 15 जून 2018 के को हुआ है। भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 की उप कंडिका (7) के आलोक में अधिसूचना प्रकाश की तिथि से बारह महीनों के अंदर यथा 15.06.2019 के अन्दर अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अधिघोषणा का प्रकाशन अनिवार्य है; बशर्ते कि अधिघोषणा प्रकाशन के लिये बारह महीनों की अवधि विस्तारित करने हेतु कोई न्यायसंगत बनाने वाली परिस्थितियाँ विद्यमान न हो,

संबंधित मामले में अधिघोषणा प्रकाशन के लिये बारह महीनों की अवधि विस्तारित करने हेतु कुछ न्याय संगत परिस्थितियाँ विद्यमान परिलक्षित होती हैं। प्रस्तावित भूमि के अर्जन हेतु अधियाची विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके आलोक में अपेक्षित कार्रवाई कर अधिघोषणा प्रकाशन के लिये निर्धारित तिथि यथा 15.06.2019 के पूर्व अधिघोषणा का प्रकाशन कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

अतः ऐसी स्थिति में अधिघोषणा प्रकाशन के लिये निर्धारित तिथि 15.06.2019 को विस्तारित करते हुए अधिघोषणा प्रकाशन की संभावित तिथि 15.06.2020 तक की जाती है।

sk

समाहर्ता,

-सह-समुचित सरकार

भागलपुर।

- ज्ञापांक XXII-13/13-293...../भू०अ०, भागलपुर दिनांक 15/06/19
- प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को अवधि विस्तारित आदेश की दो प्रति सी०डी० सहित भेजते हुए अवधि विस्तार का प्रकाशन दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, भागलपुर को अवधि विस्तारित आदेश की प्रति भेजते हुए जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, भागलपुर को आदेश की प्रति भेजते हुए जिला भागलपुर के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

समाहर्ता,

-सह-समुचित सरकार

भागलपुर।